सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

F. No. 16/3/Madhya Pradesh/Review/2015/RU-III

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003
6th Floor, 'B'wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक: 16.08.2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश
   सरकार,
   भोपाल
2. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   आदिम जाति कल्याण विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल
3. जिला कलेक्टर,
   झाबुआ,
   मध्यप्रदेश
4. जिला कलेक्टर,
   इंदौर,
   मध्यप्रदेश
5. जिला कलेक्टर,
   भोपाल,
   मध्यप्रदेश

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 01.05.2016 से 07.05.2016 तक मध्यप्रदेश के झाबुआ, इंदौर व भोपाल दौरे, झाबुआ में ग्रामों में भ्रमण, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों, सेवा सुरक्षण तथा अत्याचार के मामलों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत आरक्षण नीतियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दौरे दिनांक 01.05.2016 से 07.05.2016 तक की कार्यवृत्त रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। की गई कार्यवाही से आयोग को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

के० डी० बंसौर

(के.डी. बंसौर)श्रीमती
निदेशक

प्रतिलिपी प्रेषित:

1. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कमरा नम्बर 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।

File No. 16/3/Madhya Pradesh/Review/2015/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में भ्रमण, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों से चर्चा, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं भोपाल में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजातियों हेतु चलाई जा रही विकास योजनाओं, सेवा सुरक्षण तथा अत्याचार के मामलों की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रमांक 16/3/MadhyaPradesh/Review/2015/RU-III दिनांक 15–04–2016 के क्रम में डॉ. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष एवं श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष, श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक व श्री सुखदेव निजी सहायक, मुख्यालय, नई दिल्ली से एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, निदेशक तथा श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य का भ्रमण किया गया। इस दल में सम्मिलित होकर दिनांक 01–05–2016 को सभी सदस्य अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में इंदौर पहुँचे, जहाँ पर जिला कलेक्टर, इंदौर श्री पी. नरहरि द्वारा आयोग के दल का स्वागत किया गया। इंदौर संभाग के आदिम जाति कल्याण विभाग के उपायुक्त एवं सहायक आयुक्तों द्वारा आयोग के समक्ष आदिवासियों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कुछ आदिवासी प्रतिनिधि भी आयोग से आकर मिले।

अगले दिन दिनांक 02–05–2016 को आयोग का दल इंदौर से चलकर झाबुआ जिला मुख्यालय पर पहुँचा। वहाँ पर आयोग का स्वागत प्रभारी जिला कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण श्रीमती शकुंतला डामौर के द्वारा किया गया। शाम के समय सर्किट हाउस में विभिन्न आदिवासियों एवं उनके संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से उनकी विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई तथा कुछ संगठनों द्वारा अपने आवेदन/मांग पत्र भी आयोग के दल को सौंपे गये। **मुख्यतः झाबुआ नगर में सरकारी भूमि पर घर बनाकर वर्षों से काबिज आदिवासियों को भूमि का पट्टा दिये जाने, जिला मुख्यालय में डी.एड./बी.एड. एवं कानून की पढ़ाई हेतु कॉलेज खोले जाने, जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू करने, वन विभाग की भूमि पर आदिवासियों के साथ मिलकर बांस लगाने तथा लाभ अर्जित करने, राज्य में पदोन्नति में आरक्षण निरस्त करने संबंधी उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय से अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा, जिले के विद्यालयों में खेलों विशेषकर तीरंदाजी तथा एथलेटिक्स को प्रोत्साहित किये जाने की मांग की गई।**

आयोग ने झाबुआ पहुँच कर निम्नलिखित मुख्य कार्य किये गये:–

(क) थांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा ग्राम बोरड़ी, ब्लॉक थांदला, जिला झाबुआ का भ्रमण :–

दिनांक 03–05–2016 को आयोग द्वारा प्रभारी जिला कलेक्टर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास व जिले के अन्य अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम थांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का निरीक्षण किया गया जहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा डॉक्टरों की कमी व विशेष रूप से **महिला डॉक्टर नहीं होना बताया गया।** आयोग द्वारा इस विषय को भोपाल की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में रखने का आश्वासन दिया गया। मरीजों द्वारा बताया गया कि उन्हें अस्पताल से जरूरी दवाएं मिल जाती हैं।

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इसके बाद आयोग का दल गाँव बोरडी विकास खंड थांदला, जिला झाबुआ पहुँचा जहाँ पर भारत सरकार की योजना/दिशा निर्देश के तहत चलाई जा रही "ग्रामोदय से भारत उदय योजना" के अंतर्गत ग्राम संसद का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम सभी ग्रामवासियों द्वारा ढोल–बाजे के साथ आयोग के दल का स्वागत किया गया तथा आयोग द्वारा उनके गाँव का भ्रमण हेतु चयन किये जाने पर खुशी जताई गई। यहाँ पर स्थानीय विधायक श्री कल सिंह भंवर द्वारा श्री रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष एवं श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष आयोग का स्वागत किया गया। तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा गाँव में आने का कारण तथा आयोग के उद्देश्यों के बारे में सभी उपस्थित गाँव वालों से चर्चा की गई। इस अवसर पर जब आयोग द्वारा ग्रामीणों से पूछा गया कि उनके गाँव में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की क्या प्रगति है तथा इसका लाभ लाभार्थियों/हितग्राहियों तक पहुँच रहा है या नहीं तो बहुत सारे आदिवासियों द्वारा इस पर निम्नानुसार अपने विचार प्रकट किये गये :–

1- एक वृद्धा स्त्री द्वारा बताया गया कि उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि (Business correspondent) द्वारा केवल 150 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के दिये जा रहे हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा रुपये 275 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन निर्धारित की गई है। उनके अंगूठे का निशान उक्त प्रतिनिधि द्वारा ले लिया जाता है एवं अशिक्षित होने के कारण पूरी निर्धारित रकम नहीं दी जाती। जिला कलेक्टर द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान रजिस्टर के अनुसार उस लाभार्थी को पूरे पैसे का भुगतान दर्शाया गया था। इस पर प्रभारी जिला–कलेक्टर द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस पर कड़ी नजर रखी जाये तथा आयोग की सलाह के अनुसार जहाँ तक संभव हो सरपंच/ग्राम सचिव या गाँव के स्कूल अध्यापक की उपस्थित में बैंक प्रतिनिधियों के द्वारा पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

2- गाँव वालों ने बताया कि इस गाँव के पास एक बहुत बड़ा तालाब है परंन्तु उसमें मिट्टी की गाद जमा होने के कारण पानी नहीं है जिसके कारण ग्रामीणों एवं मवेशियों हेतु पानी की उपलब्धता नहीं रहती तथा उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। यह समस्या जानकर प्रभारी जिला कलेक्टर द्वारा मौके पर ही आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस पर तुरंत काम शुरू किया जाए तथा वर्षा आने से पहले इसे पूर्ण करना सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर जे.सी.बी मशीन का प्रयोग भी किया जाये। यहाँ पर आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा सलाह दी गई कि जिला प्रशासन सर्वप्रथम पुराने तालाबों की खुदाई कर उन्हें जल संग्रहण के लिये तैयार करें क्योंकि पुराने तालाब में पानी अधिक समय तक उपलब्ध रहता है तथा नये तालाब वहीं पर बनाये जाएं जहाँ पर अभी पुराने तालाब नहीं है।

3- श्रीमती कांता भील द्वारा बताया गया कि वह 3 साल पहले विधवा हो गई थी तथा उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इस पर चर्चा के दौरान पूछा गया कि उन्हें राहत राशि मिली थी या नहीं। इस पर बताया गया की उन्हें राहत राशि तो मिली थी परन्तु अभी तक उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है तथा भुखमरी की स्थिति है। इस पर प्रभारी जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रीमती कांता भील को तत्काल गाँव के स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना के अंतर्गत स्कूल में रसोइया नियुक्त किया जाए जिसका आदेश अगले 2 से 3 दिन तक जारी होना निश्चित करें।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4- एक अन्य महिला श्रीमती मन्ना किलसी पटेलिया द्वारा बताया गया कि उनके पति का दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया है तथा उनके पास छोटी–छोटी चार लड़कियाँ हैं और न तो उनके पास जमीन है और न ही रोजगार का कोई साधन है। इस पर प्रभारी कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को निर्देश दिया गया कि उन्हें आदिवासी छात्रावास में तत्काल नौकरी पर रखा जाये एवं दो बेटियों के पालन पोषण हेतु रुपये 2,000/– प्रति बेटी प्रति माह की दर से मध्यप्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जावे। इसके साथ ही इस विधवा महिला से जानकारी माँगी कि क्या उन्हें विधवा होने पर सरकार की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई है तो महिला द्वारा बताया गया कि उन्हें रुपये 75,000/– का अनुदान बैंक खाते में प्राप्त हुआ है। इस पर जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन्हें इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाये।

5- एक अन्य आदिवासी महिला श्रीमती राधा जो कि परित्यक्ता एवं भूमिहीन हैं, के द्वारा अपनी समस्या रखी गई जो कि पास के ग्वालमुंडी गाँव की निवासी हैं। इस पर प्रभारी जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को आदेश दिये गये कि इन्हें भूमि का पट्टा दिया जाए तथा इन्दिरा आवास योजना में इनको मकान के आवंटन का प्रस्ताव भी सुनिश्चित किया जाए।

6- गाँव वालों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके गाँव में पी.डी.एस. योजना के अंतर्गत उनको एक–एक महीना छोड़ कर राशन का गेहूँ एवं चावल इत्यादि दिया जाता है जबकि प्रतिमाह मिलना चाहिए। इसके लिए वहाँ के खाद्य अधिकारी श्री विक्रम नायक जिम्मेदार हैं। इस पर कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि राशन प्रतिमाह समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाये।

7- ग्रामीणों द्वारा छात्राओं के लिए छात्रावास एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग की गई तथा उनके गाँव में मलेरिया, डायरिया एवं कॉलरा इत्यादि बीमारियाँ होना बताया गया।

(कार्रवाईः जिला कलेक्टर, झाबुआ)

(ख) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थांदला का निरीक्षण :–

इसके पश्चात आयोग के दल द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थांदला का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर श्री शोभित जैन, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल की उपस्थिति में उपलब्ध छात्र–छात्राओं से बात की गई तथा उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों एवं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में पूछ–ताछ की गई। यहाँ पर आदिवासी छात्र–छात्राओं द्वारा आयोग के निरीक्षण करने पर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही चर्चा उपरांत यह देखने में आया कि स्कूल में अभी पढ़ाई का माध्यम केवल हिन्दी है तथा विज्ञान एवं गणित के योग्य अध्यापकों की कमी है। ये मेधावी छात्र एवं छात्राएं आगे चलकर जब अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे तो इनको पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी न होने के कारण बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पडेगा। अतः **आयोग द्वारा यहाँ पर सुझाव दिया गया कि बच्चों को प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी विषय पढ़ाना शुरू किया जाए तथा विज्ञान एवं गणित के अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों की पदास्थापना की जाये जिससे कि बच्चों को भविष्य में दूसरे बच्चों से प्रतियोगिता करते वक्त कोई परेशानी न हो तथा वह शेष बच्चों के साथ मुख्य धारा में शामिल हो सकें।**

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ग) ग्राम पंचायत फुट तालाब का निरीक्षण :–

उक्त गाँव में आयोग के दल का स्वागत ग्रामवासियों द्वारा उनके पारंपरिक गीत–संगीत के माध्यम से से किया गया। इस गाँव में भी ग्राम संसद का आयोजन जारी था, जिसमें भारी संख्या में गाँव की महिलाएं तथा पुरूष शामिल थे। साथ ही जिले के सभी संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय विधायक भी उपस्थित थे। यहाँ पर खंड विकास अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि ग्राम संसद में ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति के साथ उनकी ग्राम पंचायत फुट तालाब के विकास के प्रस्ताव तैयार किये हैं जिसमें मुख्यतः सड़क, नाली, तालाब व शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष द्वारा इन प्रस्तावों की जानकारी ली गई। साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा आयोजित ग्राम संसद की पशंसा की गई तथा गाँव वालों को बताया गया कि वह पक्ष एवं विपक्ष की तरह सभी मुददों पर चर्चा करें एवं गुण–दोष के आधार पर जो अधिक फायदेमंद हो, उसका प्रस्ताव सहमति के साथ तैयार करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा आयोग के निरीक्षण का मकसद विस्तार से उपस्थित गाँव वालों एवं अन्य अधिकारियों को बताया गया। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की गई। चर्चा में ग्रामवासियों द्वारा निम्नलिखित शिकायतें आयोग के संज्ञान में लाई गईः–

1- **पेयजल** :–ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनके गाँव में काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है जिसमें रसायनों का निर्माण होता है तथा रसायन का पानी बहकर जमीन के अंदर स्थित पानी में मिल जाता है जिसकी वजह से पीने के पानी की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो रही है तथा उन्हें बिल्कुल गंदा एवं पीला रसायन युक्त पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। यह आस–पास के 12 गाँवों की समस्या है जिसकी वजह से ग्रामवासी एवं उनके मवेशी मर रहे हैं तथा बीमार पड़ रहे हैं। कुछ गाँव वालों द्वारा बोतल में भरकर पानी का सैंपल साथ में लाया गया तथा उसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया। इस पर उपस्थित जिला अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पीने का पानी टैंकर द्वारा भी सप्लाई किया जाता है। इस पर गाँव वालों ने असहमति जताई तथा बताया कि इनके द्वारा बहुत कम सप्लाई की जाती है जो कि पर्याप्त नहीं है एवं वह गंदा रसायन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं जिससे वह बीमार पड़ रहे हैं और उनके हाथ पैर में सूजन आ जाती है। इस पर आयोग द्वारा अपनी नाराजगी दर्ज कराई गई साथ ही जिला अधिकारियों को बताया गया कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है एवं शुद्ध पेय–जल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

2- **स्वास्थ्य** :– इस विषय पर गाँव वालों का कहना था कि यहाँ पर बहुत प्रदूषण है एवं इसका कारण आस–पास की फैक्ट्री हैं जिससे धूल एवं धुआं उड़ता रहता हैं। साथ ही मच्छर बहुत अधिक हैं और पानी पीने लायक नहीं है जिससे उनको सिलिकोसिस, डायरिया, मलेरिया तथा हाथ–पैरों मे सूजन की बीमारी अत्यधिक होती है। इस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा समय–समय पर दवाई एवं धुआं छोड़ा जाता है ताकि मच्छर कम हो सकें। आयोग को जिला प्रशासन का प्रयास काफी नगण्य महसूस हुआ तथा आयोग द्वारा सलाह दी गई कि ऐसे में, अन्य उपायों के साथ गाँव वालों को सरकारी योजना के अंतर्गत मच्छरदानी का वितरण किया जाना चाहिए।

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3- **शिक्षा** :– इस विषय पर चर्चा के दौरान दो मुख्य बातें सामने आई (i) स्कूलों में शिक्षकों की कमी हैं तथा विशेषकर अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों की भारी कमी है। (ii) सूखे एवं रोजगार न होने के कारण बहुत से लोग झाबुआ छोड़कर देश के अन्य भागों में परिवार के साथ चले जाते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई या तो होती नहीं है या बाधित होती है। इस पर आयोग को सरकारी अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों की वास्तव में कमी है तथा इसकी पूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि लगभग 60 हजार के आस–पास झाबुआ के स्थानीय लोग रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों को चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण खेती में पानी की कमी तथा बाहर मनरेगा से अधिक मजदूरी प्राप्त होना है। आयोग ने इस पर सुझाव दिया कि यहाँ पर मजदूरों को मनरेगा के तहत 150 या उससे अधिक दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाये या अन्य तरह से ऐसे परिवारों की पहचान कर उनके कार्यस्थल पर अध्यापक भेज कर पढ़ाने की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए। आयोग द्वारा छात्रों को मिल रही छात्रवृत्ति की पूछताछ भी की गई इस पर ल्ई छात्रों ने बताया कि उन्हें कभी–कभी यह समय पर नहीं मिलती जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। खासतौर पर पढ़ाई में अंतर (Gap) होने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। आयोग द्वारा जिला अधिकारियों से कहा गया कि इसका समाधान निकालें क्योंकि यह आम समस्या है।

4- **वन एवं पर्यावरण** :–आयोग द्वारा पूछा गया कि उनके पंचायत घरों, स्कूलों व छात्रावासों में फलदार एवं छायादार वृक्ष हैं या नहीं। और यदि नहीं हैं तो तत्काल सभी ग्रामवासी इसकी तरफ ध्यान दें तथा अपने घरों के आस–पास, पंचायत घरों में एवं विशेषकर छात्रावासों में फलदार एवं छायादार वृक्ष जरूर लगायें। इस सुझाव को जिला अधिकारियों द्वारा सराहा गया एवं आश्वासन दिया गया कि आने वाले समय में उनके सभी छात्रावासों में आवश्यक रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा। झाबुआ के डी.एफ.ओ. श्री खरे द्वारा बताया गया कि उनकी तरफ से पर्याप्त मात्रा में ऐसे वृक्षों के सैंपल तैयार कर वितरित किये जाएंगे।

5- **खाद्य सुरक्षा** :–इस पर चर्चा के दौरान गाँव वालों ने शिकायत की कि खाद्य अधिकारियों द्वारा उनके गाँव में राशन का वितरण नहीं किया जाता तथा पड़ोसी गाँव से राशन लाने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही हर माह उनके द्वारा राशन का वितरण नहीं किया जाता एवं 2 माह में मात्र 1 बार ही मिलता है जो कि प्रति माह मिलना चाहिए। इस पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए उपस्थित खाद्य अधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा फुट तालाब गाँव में भी राशन की दुकान खोलने का प्रयास जारी है जिससे ग्रामवासियों की शिकायत दूर हो जाएगी तथा आगे से उन्हें प्रति माह राशन का वितरण किया जाएगा। यह भी जानकारी दी गई की राशन का वितरण उपलब्ध मशीनों से किया जाता है ताकि कोई धांधली न हो। कुछ ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें अभी तक राशन नहीं दिया जा रहा है जबकि वे पात्र हैं। इस पर खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले उसे कराना पड़ेगा। यह सुनकर आयोग द्वारा नाराजगी जताई गई तथा सलाह दी गई कि यह कर्तव्य खाद्य अधिकारियों का है कि वह स्वयं घर–घर जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करें एवं उनको राशन उपलब्ध करायें।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6- **सामाजिक सुरक्षा योजना** :–चर्चा के दौरान ग्रामवासियों द्वारा यह शिकायत की गई कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का पूरा पैसा रुपये 275/– प्रतिमाह नहीं मिलता है एवं बैंक प्रतिनिधि द्वारा पूरे राशि पर अंगूठा लगा कर कम पैसे दिये जाते है। इस पर आयोग द्वारा जिला अधिकारियों को सलाह दी गई कि भुगतान सरपंच, उपसरपंच या शिक्षक की उपस्थित में दिया जाना चाहिये ताकि लाभार्थियों को पूरी राशि प्राप्त हो।

7- **कृषि फसल बीमा योजना एवं सूखा राहत** :–उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो फसली ऋण बैंको से लिया गया था वह सूखा पड़ने के कारण बैंको को वापस जमा नहीं कराया जा सका। इस स्थिति में उन्हें बैंको द्वारा आगे ऋण नहीं दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत समय पर ऋण वापस करने पर सरकार द्वारा ब्याज माफ किया जाता है परन्तु बैंक ब्याज एवं मूल राशि वापस मांगने के लिए दबाव देते हैं। इस पर जिला अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह सही है कि झाबुआ में सूखा पड़ने के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति ठीक नहीं है तथा बैंक समय पर ऋण वापस नहीं होने पर ब्याज की मांग करते है और यदि ऋण समय पर वापस हो जाता है तो किसानों को ऋण माफ रहता है। आयोग द्वारा जिला अधिकारियों को बताया गया कि जब किसानों को सूखा राहत का ही वितरण नहीं हुआ है तथा उनकी फसल सूख गई है तो बैंको द्वारा ब्याज मांगना एवं ऋण वापसी का दबाव उचित नहीं है तथा जिला प्रशासन देखे कि किसानों को आगे फसली ऋण मिलने में तकलीफ न हो। आगे चर्चा में कृषकों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा कृषि फसल बीमा योजना नहीं ली गई है इस कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। आयोग द्वारा सलाह दी गई कि इस योजना का प्रचार–प्रसार सरकार द्वारा बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए तथा यह भी स्थानीय पशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि सभी किसान कृषि फसल बीमा योजना में सम्मिलित हों।

8- ग्रामवासियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि उनके गांव और क्षेत्र में पशु चिकित्सक एवं उनके विभाग के सहायक कर्मचारी नहीं आते जिससे पशुओं का इलाज नहीं हो पाता। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि समय–समय पर पशु चिकित्सक एवं उनके विभाग के सहायक कर्मचारियों को गांवों में जाकर पशुओं का इलाज करना चाहिये।

(घ) अग्राल ग्राम में एकलव्य आवासीय स्कूल का निरीक्षण :–

उपरोक्त गाँव में आयोग के दल का स्वागत छात्र–छात्राओं द्वारा किया गया। जिला अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि यहाँ के लगभग 32 छात्र–छात्राओं को, जिन्होंने सराहनीय परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है तथा जो आई.आई.टी./जे.ई.ई प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिये चुन कर विशेष कोचिंग देने हेतु इंदौर भेजा जा रहा है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा पास कर सके। आयोग द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा की गई तथा उन्हें सम्मानित भी किया गया। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि सभी बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ाई किये थे तथा इसकी वजह से उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उनकी हिम्मत बढ़ाई गई और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर **संस्था के द्वारा विद्यालय में दो दर्जन कंप्यूटरों, इंटरनेट, सुविधा जल प्रदाय करने हेतु गहरी बोरिंग वाले सबमर्सिबल पंप तथा विद्यालय व छात्रावास हेतु बाउंड्री वॉल हेतु स्वीकृति तथा बजट प्रदाय करने की मांग की गई। आयोग ने उनकी इन मांगों को उचित बताया तथा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।**

रामेश्वर ओरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ड.) विभिन्न आदिवासी संगठनों एवं प्रतिनिधियों से सर्किट हाउस, झाबुआ में मुलाकातः–

शाम के समय अलग–अलग संगठनों के प्रतिनिधि आयोग से मिलने के लिये सर्किट हाउस झाबुआ पहुंचे तथा चर्चा के उपरांत उन सभी के आवेदन प्राप्त किये गये। इस समय मिलने वालों में मुख्यतः जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती कलावती भूरिया रहीं तथा इनके एवं अन्य प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित समस्याओं के तरफ आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

- जिला प्रशासन द्वारा आदिवासियों को कृषि भूमि एवं आवासीय पट्टे आवंटन नहीं किया जाना तथा उन्हें प्रशासन के विभागों द्वारा परेशान किया जाना।
- पेयजल की समस्या।
- डॉक्टरों एवं अस्पतालों की कमी।
- सूखा राहत न मिलना एवं फसली ऋण का वितरण न होना।
- आदिवासियों के फर्जी प्रमाण पत्रों पर कई लोगों का नौकरी पाना और करना जिससे आदिवासियों का हक प्रभावित होता है।
- तालाबों की खुदाई का कार्य न होना अथवा इसकी खुदाई केवल जे.सी.बी. मशीन से किया जाना।
- मंनरेगा का पैसा समय पर न दिया जाना।
- खाद्य वितरण सही समय पर नहीं होना, कम होना इत्यादि।
- छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलना।
- झाबुआ में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के अध्यापक नहीं होना।
- आदिवासियों के बैकलॉग पद नहीं भरा जाना।
- आदिवासियों का रोजगार की तलाश में पलायन करना।
- स्कूलों व कॉलेजों की कमी तथा झाबुआ में लॉ कॉलेज का न होना।
- वन एवं पर्यावरण से संबंधित।

(च) झाबुआ जिले की समीक्षा एवं मूल्यांकन बैठक :–

दिनांक 04–05–2006 को सुबह 10 बजे से जिला समीक्षा बैठक जिला सभागार में शुरू हुई। वहाँ पर सर्वप्रथम प्रभारी जिला कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी एवं जिले के अन्य अधिकारियों द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं दल के अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रभारी जिला कलेक्टर द्वारा आयोग के समक्ष केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके जिले द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं एवं खाद्य तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति का एक प्रेजन्टेशन दिया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रभारी जिला कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई तथा ऐसे अधिकारियों की देश में जरूरत बताई क्योंकि वह बहुत ही उत्साही, कठिन परिश्रम करने वाले एवं मौके पर निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 03–05–2016 को गाँवों के भ्रमण के दौरान अनुभव किये गये बिन्दुओं/मुददों पर विषयवार चर्चा की गई। सर्वप्रथम आदिवासी उपयोजना में वर्ष 2015–16 में आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं होने पर चर्चा हुई। आदिवासी उपयोजना में आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग न करने का कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछा गया तो जिला अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गत वर्ष उन्हें इस योजना में मार्च माह में धनराशि आवंटित की गई जिसकी वजह से इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। शासन द्वारा उन्हें यह राशि वर्तमान वर्ष में अलग से उपलब्ध कराई जाएगी जिससे यह लैप्स नहीं होगी। आयोग द्वारा आगे से पूरी राशि समय पर मांगने की सलाह दी गई ताकि इसका उपयोग जनजातियों के हित में किया जा सके। इसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा शुरू हुई तथा उन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से समाधान के साथ जवाब मांगा गया जिनमें मुख्यतः निम्नप्रकार है :–

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

❖ **पेयजल** :–फुट तालाब गाँव से लाये गये पानी का सैंपल जिला अधिकारियों को दिखाया गया एवं वहाँ पर चल रही कैमिकल उद्योगों से निस्तारित रसायन युक्त पानी, पीने के पानी में मिलने की समस्या बताई गई। इस पर मीटिंग में उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह लगभग 12 गाँवों की समस्या है और ग्रामवासी व पशु यह पानी पीने को मजबूर हैं जिससे वे बीमार पड़ रहे हैं व उनकी मृत्यु भी हो रही है। प्रभारी जिला कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पहले ही कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिये कि शेष 2–3 फैक्ट्रियों को तत्काल बंद कराया जाना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा बताया गया कि 2–3 दिन के अंदर इंदौर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों को बुलाकर पानी की गुणवत्ता जाँची जाएगी और उद्योगों की गलती पाये जाने पर उन्हें पूरी तरह बंद किया जायेगा। जब तक ग्रामवासियों को टेंकर से पानी भेजना तय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई एवं प्रभारी कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर द्वारा इसकी जानकारी आयोग को भेजे जाने की बात कही गई।

❖ **खनिज एवं खान** :– मीटिंग में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कलावती भूरिया द्वारा बताया गया कि इंदौर के किसी उद्योगपति को खान आवंटित की गई है जिसके लिए आदिवासी किसानों से न तो सहमति ली गई और न ही उनको मुआवजा दिया गया तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर जिला प्रशासन ने जाँच कराने का भरोसा दिया। आयोग द्वारा पूछताछ की गई कि किसान की सहमति लेना जरूरी है तथा सहमति पश्चात उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिले तथा उनके पुर्नस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु ज्ञात हुआ कि जवाब देने के लिए खनिज अधिकारी बैठक में उपलब्ध नहीं है। इस पर आयोग द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। जिला प्रभारी कलेक्टर द्वारा आश्वस्त किया गया कि मामले की पूर्ण जाँच करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी तथा आयोग को अवगत करवाया जाएगा।

❖ **वन एवं पर्यावरण** :–माननीय अध्यक्ष द्वारा झाबुआ जिले के बड़े भू–भाग पर वन न होने का जिक्र किया गया जिससे पानी की कमी, पर्यावरण का नुकसान, रोजगार की कमी तथा रहवासियों का पलायन होता है। इस पर वन विभाग के डी.एफ.ओ. श्री खरे की राय मांगी गई । श्री खरे द्वारा आयोग के मत से सहमत होना जाहिर किया गया तथा इसके लिए पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया। **अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के साथ मिलकर प्रथमतः वन विभाग सभी आदिवासी छात्रावासों एवं स्कूलों में, जहाँ पर बाउन्ड्री वॉल बनाई गई है, उनमें फलदार एवं छायादार वृक्षों का वृक्षारोण किया जाये जिससे बच्चो के अंदर वृक्षों के प्रति प्रेम पैदा हो, वे उनकी रक्षा करें तथा उन्हें छाया के साथ–साथ फल खाने का अवसर भी मिले।** इस पर श्री खरे एवं श्रीमती शकुंतला डामौर द्वारा पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिलाया गया। वन विभाग द्वारा रोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया। आयोग द्वारा यह भी सलाह दी गई कि ऐसा करने से वन विभाग का फॉरेस्ट कवरेज भी बढ़ेगा।

आयोग द्वारा डी.एफ.ओ. श्री खरे से पूछा गया कि अभी तक आदिवासियों को पट्टा जारी करने हेतु कितने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावे/आवेदन प्राप्त हुए। इस पर उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5000 दावे प्राप्त हुए जिसमें से 2000 पट्टे जारी किये गये तथा बचे हुए कुल 3000 दावों में 1000 व्यक्तिगत दावे तथा 2000

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सामुदायिक दावे हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1000 दावे उनके द्वारा एक माह में निपटा दिये जायेंगे। इस पर आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग आवेदन कर सकें। जिला प्रशासन इस योजना को पुनः अवलोकन करे तथा सुनिश्चित करें कि सभी पात्र आदिवासियों को, जिनका कब्जा जमीन पर रहा है, को अधिकार पत्र मिले।

- **शिक्षा** :–शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि (1) स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है (2) मवेशी चराने वालों तथा प्रवजन करने वालों के बच्चों के लिए ब्रिज स्कूलों / मोबाइल टीचर की आवश्यकता है (3) अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों की विशेष कमी है। (4) बी.एस.सी. विषय की फेकल्टी विकास खण्ड स्तर पर होनी चाहिए जो कि अभी झाबुआ में नहीं है। (5) बी.एड. एवं डी.एड. का कोर्स भी जिला स्तर पर नहीं है। (6) छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त नहीं होती और पढ़ाई में उच्च शिक्षा हेतु गैप होने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। (7) झाबुआ में लॉ कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र लॉ का कोर्स नहीं कर पाते हैं तथा आदिवासी छात्र कानून की पढाई से वंचित हैं (8) राज्य साक्षरता मिशन में पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है एवं 12 माह से वोलेन्टियर को वेतन नहीं मिला है। इस विषय में आयोग द्वारा जिला अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई तथा सुझाव दिये गये कि–

  - बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हो सके।

  - मवेशी चराने वालों तथा प्रवजन करने वालों के बच्चों के लिए ब्रिज स्कूल / मोबाइल टीचर योजना पर विचार किया जाए जो कि अन्य राज्यों में चल रही है।

  - अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं तथा अंग्रेजी विषय को प्रथम कक्षा से बच्चों को पढ़ाया जाये ताकि वे आगे चल कर इसको माध्यम के रूप में स्वीकार कर सकें तथा अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। राज्य सरकार अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के अध्यापक दूसरे जिलों से या योजना में कुछ बदलाव कर जैसे अधिक वेतन देकर उपलब्ध कराने पर विचार करें जिससे आदिवासी बच्चे भविष्य के लिए यह जिम्मेदारी उठाने हेतु तैयार हो सकें।

  - झाबुआ में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर बी.एस.सी., बी.एड., डी.एड. एवं लॉ कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आयोग द्वारा राज्य समीक्षा के दौरान भोपाल में चर्चा करने की बात कही गई।

- **स्वास्थ्य** :–स्वास्थ्य के क्षेत्र में चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि (1) लगभग दो लाख आबादी में से 35 हजार लोगों में कुपोषण की समस्या है जिसमें से 1838 लोगों में अत्यधिक कुपोषण है। (2) आदिवासियों में मुख्यतः सिकिल सेल एनेमिया, मलेरिया एवं सिलिकोसिस व फ्लोरोसिस बीमारियाँ पाई जाती है। सिकिल सेल एनेमिया लाइलाज बीमारी है। (3) अधिकतर आदिवासी लेबर रोजगार के लिए गुजरात में जातें

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हैं एवं वहाँ पर महिलाएं शोषण का शिकार होती है जिससे एच.आई.वी. की बीमारी बढ़ रही है। (4) अलिरजपुर जिले में डॉक्टरों की बहुत कमी है और खासतौर से झाबुआ में महिला डॉक्टर की कमी है। इस संबंध में आयोग द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये :–

- कुपोषण दूर करने के लिए इससे प्रभावित लोगों एवं बच्चों के विशेष खान–पान की व्यवस्था किया जाए। जिला प्रशासन आंगनवाड़ियों के माध्यम से इसका समाधान करे तथा आयोग को अवगत कराये।

- बीमारियों से बचाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। स्थानीय लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायें जिससे यहाँ के लागों को रोजगार की तलाश में बाहर न जाना पड़े और वे अन्यत्र बीमारियों से बच सकें।

- लोगों को मनरेगा का पैसा शीघ्र मिलना चाहिए तथा उनके मजदूरी के दिनों में प्रतिवर्ष 150 दिन या उससे अधिक की वृद्धि की जानी चाहिए जिससे वे बाहर पलायन न करें। यह इसलिए भी अधिक आवश्यक है क्योंकि यहां पर 60 हजार परिवार भूमिहीन बताये गये।

- आदिवासियों को मच्छरदानी का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी आदिवासी बसाहटों में दवाईयों का छिड़काव किया जाना चाहिए जिससे मच्छर कन हो सकें। महिला डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए पदस्थापना की जायें।

❖ **खाद्य सुरक्षा** :– उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया की पी.डी.एस. योजना में हितग्राहियों को प्रतिमाह राशन का वितरण नहीं किया जाता तथा यह दो माह में एक बार होता है। सभा में उपस्थित खाद्य अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि कुल 375 ग्राम पंचायतों में से 266 में राशन की दुकान शुरू हो चुकी है तथा शेष पंचायतों में दुकान खोलने का कार्यक्रम जारी है। राशन का वितरण मशीन के माध्यम से किया जाता है। हितग्राहियों को राशन प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू कर दी जायेगी। आयोग द्वारा प्रभारी जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि इस पर विशेष ध्यान दें ताकि आदिवासियों को सरकार की योजना का पूर्ण लाभ मिल सकें।

❖ **अन्य विषय** :–आयोग द्वारा चर्चा उपरान्त कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये जो इस प्रकार हैं:–

- बैकलॉग पदों पर, जो कि लगभग 1200 बताये गये है, शीघ्र भर्ती की जाये।

- फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच की जाए तथा ऐसे दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए चूंकि इससे आदिवासियों का हक मारा जाता है।
- वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य भुगतान सरपंच/उपसरपंच या शिक्षक की उपस्थिति में कराया जाये ताकि बैंक प्रतिनिधियों द्वारा इसमें भ्रष्टाचार रोका जा सके।

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को अपना सामान कय करने की अनुमति मिलनी चाहिए तथा ठेकेदारों से लेने को मजबूर न करें।

- अत्याचार के मामलों में मुआवजे का वितरण समय पर एवं उचित मात्रा में होना चाहिए। इसको जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर पुनरावलोकन करना चाहिए।

- कृषकों का ब्याज माफ होना चाहिए चूंकि उन्हें सूखे के कारण कष्ट झेलना पड़ा एवं उनको मुआवजा भी नहीं मिला। इस कारण उन्हें आगे फसली ऋण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

बैठक के अंत में प्रभारी जिला कलेक्टर द्वारा आयोग के भ्रमण, समीक्षा के दौरान दिये गये सुझावों पर अमल करने का भरोसा दिया गया तथा आयोग को धन्यवाद दिया गया।

(छ) आयोग द्वारा उज्जैन में श्री दाती–महाराज के आश्रम में की गई चर्चा :–

झाबुआ से उज्जैन वापसी करते वक्त यह निर्णय लिया गया कि उज्जैन में उपस्थित श्री दाती–महाराज, जिनके द्वारा आदिवासियों के हित में कई कार्य किये जा रहे हैं से इस संबंध में चर्चा की जाए। उज्जैन पहुँच कर आयोग के दल द्वारा श्री दाती महाराज के आश्रम का अवलोकन किया गया और बाद में उनसे चर्चा कर उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पाली (राजस्थान) स्थित आश्रम में इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है तथा वहाँ पर आदिवासियों की निःशुल्क पढ़ाई की जा रही है। उनके द्वारा वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा उनका ट्रस्ट आदिवासियों द्वारा तैयार सामान का क्रय भी करता है। यहाँ उज्जैन में उनके द्वारा आश्रम में ही एक स्कूल खोला जा रहा है जिसमें आदिवासी छात्राओं की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम के साथ निःशुल्क की जायेगी तथा इनके स्कूल की क्षमता लगभग छः सौ विद्यार्थियों की होगी। झाबुआ जिले की आदिवासी महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की उनकी योजना है जिसके लिए उन्हें जरूरतमन्द आदिवासी महिलाओं की पहचान करने के लिए किसी संस्था की मदद की जरूरत है। इसके बाद उनकी टीम उनको प्रशिक्षण व कच्चा माल देगी एवं उनसे तैयार माल भी खरीदेगी ताकि उनका रोजगार निरंतर चलता रहे। इस कार्यक्रम के लिए सरकार से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। उनका ट्रस्ट केवल अपने पैसे से सारे कार्यक्रम चलाता है तथा उनका उज्जैन में आश्रम खोलने का मुख्य उद्‌देश्य यही था कि झाबुआ जिले के गरीब आदिवासी लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। यह जानकर आयोग को अति प्रसन्नता हुई की श्री दाती महाराज गरीब आदिवासियों के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम बगैर सरकारी मदद के चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदरणीय दाती महाराज का आभार जताया तथा इसके बाद आयोग का दल इंदौर के लिए प्रस्थान कर गया।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भोपाल में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों व उनके प्रतिनिधिमण्डलों से मुलाकात

दिनांक 05–05–2016 को सुबह 10:00 बजे आयोग का दल इंदौर से रवाना होकर दोपहर 13:30 बजे भोपाल पहुँचा जहाँ पर पहले से ही आदिवासियों के विभिन्न समूह/संगठन मिलने के लिए पहुँच चुके थे। यहाँ पर माननीय सचिव, एन.सी.एस.टी, श्री ए.के, अग्रवाल भी दिल्ली से भोपाल पहुंचकर आयोग के दल में सम्मलित हो गये। भोपाल पहुँचने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारियों का स्वागत मध्य प्रदेश सरकार के आदिमजाति विकास मंत्री श्री ज्ञान सिंह महोदय एवं श्रीमती अलका उपाध्याय, प्रमुख सचिव. आदिम जाति कल्याण विभाग, श्री शोभित जैन, आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. द्वारा किया गया।

मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा

सर्वप्रथम, आयोग के दल द्वारा कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित होकर वहाँ पर एक बड़े प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की गई जो कि मीना, कीर, पारदी एवं मांझी समाज से थे। इस अवसर पर इन समाजों के विभिन्न स्थानीय नेताओं/प्रतिनिधियों ने आयोग को **अपनी जातियों को म.प्र. की अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः सम्मिलित करने की मांग से अवगत करवाया** तथा बताया कि उनका समाज पीढ़ियों से आदिवासी है एवं इन जातियों को दूसरे राज्यों में भी जनजाति माना गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य तौर पर मीना समाज के लोग अधिक संख्या में शामिल थे जिनमें माननीय विधायक श्रीमती ममता मीना प्रमुख थीं। इस अवसर पर आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री नारायण सिंह केसरी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी इन समाजों की मांगों पर सहानभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की। **मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रतिनिधियों ने जोर देकर अपने समाज की ओर से इस संबंध में अभ्यावेदन दिया तथा पुराने अभिलेखों में उन्हें आदिवासी के रूप में रिकॉर्ड किये जाने का उल्लेख किया। उनका आवेदन भी आयोग द्वारा लिया गया।** आयोग के संज्ञान में प्रतिनिधि मंडल द्वारा लाया गया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा गैर सरकारी संकल्प पहले ही पारित किया जा चुका है तथा इसकी तकनीकी रिपोर्ट आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, मध्य प्रदेश (टी.आर.टी.आई) द्वारा तैयार की जा रही है ताकि इसे अनुशंसा के साथ भारत सरकार को भेजा जा सके। आयोग द्वारा इस मुददे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इन उपरोक्त समाजों के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई कि सर्वप्रथम तकनीकी रिपोर्ट पूरी होने पर राज्य सरकार द्वारा इसका विस्तृत प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद वहां से इसे भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के पास राय हेतु भेजा जायेगा। इसी के उपरांत आयोग का से राय ली जाती है। अतः पहले वे अपने स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार कराकर उसकी अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित कराने के लिए कोशिश करें। **आयोग ने वहां पर उपस्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, मध्य प्रदेश के संयुक्त संचालक को निर्देश दिया कि वे उक्त रिपोर्ट को शीघ्र पूर्ण कर राज्य सरकार के पास भेजें ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई हो सके।**

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उराँव एवं सचिव श्री ए. के. अग्रवाल के साथ मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रतिनिधियों की चर्चा।

इस अवसर पर कुछ दूसरे अन्य प्रतिनिधि मंडलों द्वारा वर्तमान में जबलपुर हाईकोर्ट के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित आदेश के विषय में चर्चा की और बताया कि यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला निर्णय है और इसमें आयोग अपनी भूमिका निभाए। इस संबंध में माननीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को सलाह दी गई कि यह माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है । अतः इस पर कोई टीका–टिप्पणी नहीं की जा सकती। चूंकि मध्य प्रदेश शासन पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुका है, अतः सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है तो इस पर संसद कोई फैसला ले सकती है क्योकि पदोन्नति में आरक्षण का प्रस्ताव राज्य सभा में पहले ही पारित हो चुका है तथा अब लोक सभा द्वारा इसे चर्चा करते हुए पास किया जा सकता है और नियम बनने के बाद पदोन्नति में आरक्षण मिल सकता है।

दिनांक 06–05–2016 को वल्लभ भवन, भोपाल में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का विवरण/रिपोर्ट

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग का दल माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में दिनांक 06–05–2016 को सुबह 10:00 बजे वल्लभ भवन, भोपाल में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु पहुँचा, जहाँ पर आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव महोदय का स्वागत मध्य प्रदेश राज्य के माननीय आदिवासी विकास मंत्री माननीय श्री ज्ञान सिंह, श्री एस. आर. मोहन्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती अलका उपाध्याय, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं श्री शोभित जैन, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। मीटिंग में सबसे पहले श्री एस. आर. मोहन्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोग के दल का स्वागत किया गया तथा इस मीटिंग के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।

रामेश्वर ओरांव

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

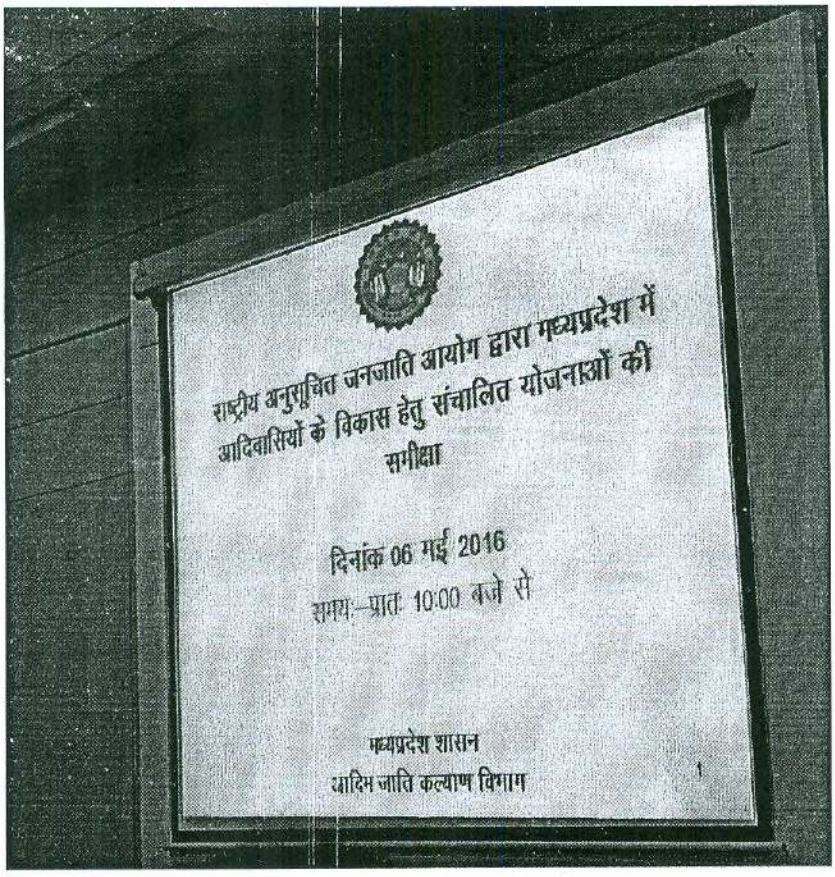

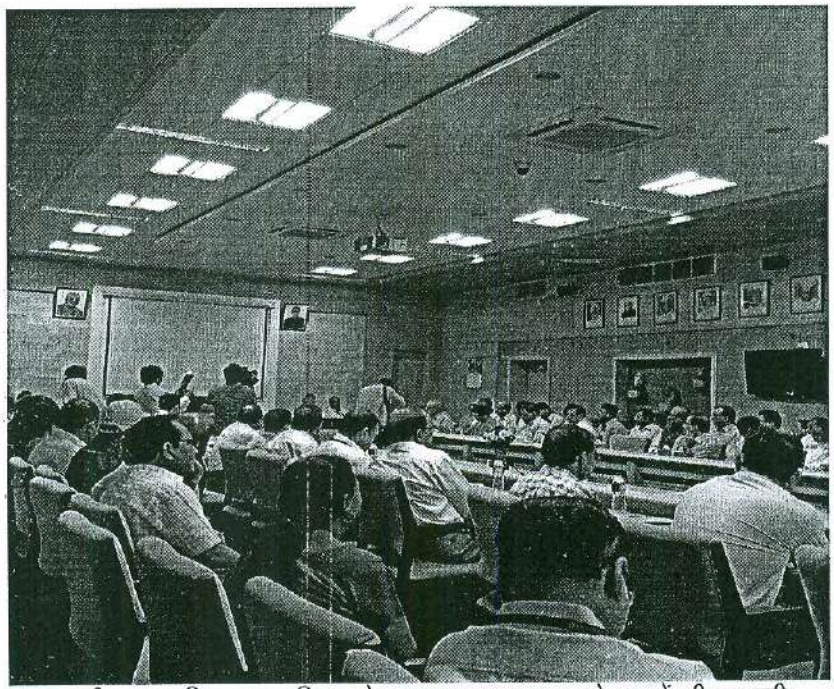

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वल्लभ भवन, भोपाल में ली जा रही राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दृश्य।

डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक के प्रारंभ में सचिव महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार ने आयोग के गठन, इसके कार्यों एवं शक्तियों पर प्रकाश डाला और राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया की केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण विवरण दें ताकि इस पर सार्थक चर्चा हो सके तथा समस्याओं का समाधान किया जा सके। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आयोग के द्वारा योजनाओं के क्रियानवयन की स्थिति के अवलोकन हेतु झाबुआ जिले का चुनाव इस कारण किया गया कि वहाँ पर अधिक आदिवासी जनसंख्या है जो कि 85 प्रतिशत के आस–पास है। वहाँ पर रह रहे आदिवासियों की स्थिति आयोग जान सके एवं वहाँ पर चल रही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं सामाजिक न्याय इत्यादि योजनाओं की समीक्षा कर सके, यही भ्रमण का उद्देश्य है। ग्राउंड रिपोर्ट जानने पर तथा वहाँ पर 2 दिन बिता कर आयोग द्वारा जन सामान्य को प्रभावित करने वाले मुददों एवं समस्याओं की जानकारी ली गई। उन सभी बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा करना एवं उनका समाधान ढूंढना आवश्यक है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक–एक कर उपरोक्त वर्णित सभी बिंदुओं/समस्याओं को राज्य स्तरीय बैठक में विस्तार से रखा। प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में चल रही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति दिखाने हेतु पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन दिया गया जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हुई बिंदुवार चर्चा निम्नानुसार है

- **अत्याचार निवारण** :–अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2012 के बाद फिर से दर्ज मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस पर राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों से अत्याचार (Atrocity) के स्टेटस की जानकारी ली गयी। इस पर उनके द्वारा बताया गया कि पहले महिलाएं सामाजिक बन्धनों, गरीबी, पिछड़ेपन व अशिक्षा के कारण उन पर हुए अत्याचारों की रिपोर्ट नहीं करती थीं किंतु अब स्थिति में बदलाव आया है जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। दर्ज मामलों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है क्योंकि अब आदिवासियों की हर शिकायत को दर्ज किया जाता है तथा आदिवासी महिलाओं को पीड़ित होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित के अंतर्गत तुरंत सरकारी राहत राशि दी जाती है तथा उन्हें रिपोर्ट लिखाने हेतु आने जाने का किराया, खाना एवं रहने की व्यवस्था की जाती है। अदालत में दोष सिद्ध होने पर शेष राहत राशि भी बैंक खातों में योजना के अंतर्गत जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 8 के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अधीन प्रदेश स्तर पर सैल का गठन किया गया है जिससे प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष थानों (अजाक) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य, जिला एवं थाना स्तर पर किये गये उपायों की जानकारी भी दी गई। उपरोक्त स्थिति से अवगत होने के बाद आयोग द्वारा सलाह दी गई कि चूंकि आदिवासी समाज हमारे देश का सबसे पिछड़ा एवं गरीब वर्ग है इसलिए पुलिस विभाग बहुत ही विनम्रता

से उनके दुखों एवं कष्टों का निवारण करे तथा दोषियों के खिलाफ उचित धाराओं में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि उन्हें न्याय मिले। विशेष तौर पर सलाह दी गई कि आदिवासी बहुत भोले–भाले होते हैं, अतः उन्हें झूठे या अन्यथा बनावटी केसों में न उलझाएं। सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज करना, किसी भी शिकायत को न दबाना, समय सीमा में अत्याचार के मामलों की जाँच पूर्ण करना, समय पर राहत राशि के भुगतान, आरोपियों की गिरफ्तारी, अत्याचार वाले क्षेत्रों की पहचान करना और विधिक एवं चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

- **आदिवासी उपयोजना की समीक्षा** :–इस पर चर्चा करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा झाबुआ जिले की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आई आदिवासी उपयोजना में राशि के विलंब से आवंटन की बात का जिक्र किया और कहा कि इस योजना के अंर्तगत उन्हें राशि मार्च माह में प्राप्त हुई थी जो कि उपयोग में नहीं लाई जा सकी हालांकि प्रभारी कलेक्टर द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया था कि यह राशि लेप्स नहीं होगी तथा वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च की जा सकेगीं। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा गया कि इस तरह से धनराशि का आवंटन एवं स्थानांतरण वर्ष के शुरू में किया जाना चाहिए ताकि शासन की योजना के अंर्तगत धनराशि का आदिवासियों के हित में सदुपयोग किया जा सके। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इस पर निश्चित ही ध्यान दिया जायेगा।

- **शिक्षा** :–आयोग ने पाया कि शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अन्य समुदायों के बीच साक्षरता में जो लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा का गैप है, वह बहुत अधिक है। यह राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों में स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने पूछा कि इसे कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ाई का माध्यम केवल हिंदी होने के कारण जनजाति के बच्चों को आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्यायें आती है एवं ये बच्चे अन्य वर्ग के छात्रों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं एवं अपने आप को एडजेस्ट न कर पाने के कारण आत्महत्या जैसे कदम भी कभी–कभी उठा लेते हैं जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण हैं। अतः सरकार आदिवासी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी विषय के अध्यापक पर्याप्त संख्या में पदस्थापित करें ताकि आदिवासी बच्चे भी आगे चलकर अन्य बच्चों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान एवं गणित के गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों की भी भारी कमी है जिससे बच्चे इन विषयों में शिक्षा नहीं ले पाते एवं छोटी कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ देतें है क्योंकि आगे चलकर इन्हें यह विषय बहुत कठिन प्रतीत होते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पर यह भी सुझाव दिया गया कि इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए सरकार कोई कदम उठाए जैसे कि कुछ समय के लिए अध्यापक बाहर से/अन्य जिलों से पदस्थापित करे और यदि जरूरत पड़े तो इनको कुछ अधिक वेतन का लाभ दे क्योंकि शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रमुख माध्यम है एवं जनजातियों के विकास के लिए यह सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य स्कूलों की प्रशंसा की गई तथा अधिक संख्या में ऐसे स्कूलों को खोलने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों, जिनसे कुछ आदिवासी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर रोजगार पा रहें हैं, की भी सराहना की। उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ छात्रों ने छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने या गैप की शिकायत की समस्या का समाधान निकाला जाये। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनके विभाग द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों की जानकारी दी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उठाए गए शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सहमति जताई। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा अभी लगभग 40,000 शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम बनाया गया है तथा इस भर्ती के दौरान अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की पूर्ति करने के विशेष प्रयास किये जाएंगे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंजिनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई की हिंदी भाषा में विषय वस्तु अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की मदद से तैयार की जा रही है जिससे आने वाले 2–3 वर्ष की अवधि में आदिवासी छात्र हिंदी माध्यम में पढ़कर भी प्रतियोगी परीक्षा देकर इंजिनियर एवं डॉक्टर बन सकेंगे। इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वह मातृभाषा हिंदी का पूरा सम्मान करते हैं और राज्य सरकार का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। इसमें 2–3 साल लगने की अवधि बताई गई है परन्तु आज के समय में दूसरे समाजों के साथ तरक्की करने हेतु अंग्रेजी विषय को भी जानना जरूरी है। अतः इस सच्चाई को भी ध्यान में रखना चाहिए। आयोग के माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा जो बच्चे प्रवजन के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, उनके बारे में पूछा गया। इस पर सचिव महोदय द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा छात्रों की फोटो उनके बायोडाटा के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने की योजना शुरू की गई है ताकि ऐसे बच्चों का पता कर उन्हें वापस स्कूल में लाया जा सके। साथ ही प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि कक्षा आठवीं तथा दसवीं के बोर्ड की परीक्षा समाप्त करने से शिक्षा की **गुणवत्ता/स्तर** में भारी कमी देखने में आई है तथा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि आयोग द्वारा दिये गये सुझाव पर पूरी तरह विचार किया जाएगा और यथा संभव इन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर दूर किया जाएगा एवं पढ़ाई के गैप को भी दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। साथ ही छात्रवृत्ति भी समय पर दी जाएगी एवं ऐसे छात्रों, जिनका उच्च शिक्षा लेने के प्रयास में गैप होता है उन्हें भी छात्रवृत्ति का पात्र माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष आयोग द्वारा यह भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि छत्तीसगढ राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है तथा रामकृष्ण मिशन एवं प्रयास संस्थान के सहयोग से रायपुर के शासकीय हॉस्टल में

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आदिवासी जिलों के प्रतिभाशाली बच्चे चुन कर लाये गये हैं जहाँ पर 50 प्रतिशत बच्चे आदिवासी और 50 प्रतिशत बच्चे अन्य वर्गों के साथ में रख कर पढ़ाए जाते हैं जिससे बच्चों में हिचक खत्म होती है और साथ में मिल कर अच्छी पढ़ाई करते है। उन्हें इंजिनियर एवं डॉक्टर बनने हेतु कोचिंग दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी सरकार द्वारा कुछ अच्छे गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे कि भारत सेवा संघ, रामकृष्ण मिशन एवं डी.ए.वी. के साथ मिल कर इस योजना को लागू किया जा सकता है। इस सुझाव का प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वागत किया गया एवं ऐसा करने की इच्छा जताई गई। चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा झाबुआ जिले में लॉ कॉलेज नहीं होने का जिक्र किया जिसकी लोगों ने वहाँ पर माँग की थी। इस पर राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि अगले साल तक वहाँ पर लॉ कॉलेज शुरू हो जाएगा जिसकी जानकारी से आयोग को अवगत कराया जाऐगा।

- **स्वास्थ्य एवं पेय–जल** :–इस पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष तौर पर पेय–जल की समस्या पर फोकस किया गया था। मीटिंग के दौरान झाबुआ के फुट तालाब गाँव से पानी का सैंपल जो ग्रामवासियों ने दिया था, उसे भी राज्य सरकार के अधिकारियों को दिखाया गया तथा बताया गया कि आस–पास के लगभग 12 गाँवों के लोग यह कैमिकल युक्त प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं जो कि उनके आस–पास स्थित कैमिकल फैक्टी से निकलने वाले रसायन युक्त पानी के कारण है। यह कैमिकल जमीन के अन्दर पानी के लेवल से मिल चुका है जिसके कारण आदिवासी एवं उनके मवेशी इस पानी को पी कर बीमार पड़ रहें है और बहुत सारे लोगों एवं मवेशियों की मृत्यु होने की भी जानकारी ग्रामवासियों द्वारा दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई क्योंकि यह मानवीय अधिकारों का प्रश्न है एवं लोगों का मूलभूत अधिकार है कि उन्हें पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा झाबुआ में फैल रही अन्य बीमारियों जैसे मलेरिया, डायरिया, सिलकोसिस, फ्लोरोसिस एवं एड्स इत्यादि की तरफ भी शासन के अधिकारियों का ध्यान खीचा गया। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी विशेषतः महिलाओं डॉक्टरों की कमी पर भी ध्यान आकृष्ट किया। आयोग द्वारा प्रभारी कलेक्टर, जिला झाबुआ की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई तथा उन्हें बहुत ही योग्य अधिकारी बताया क्योंकि उनके द्वारा कई सारे त्वरित निर्णय लिये गये जिसमें से एक प्रमुख निर्णय दो कैमिकल उद्योगों को बंद करने का निर्णय भी था तथा इंदौर से विशेषज्ञों को बुला कर पानी की गुणवत्ता जाँच करने का निर्णय भी लिया गया। आयोग ने इस तरह के अधिकारियों की हमारे देश में सख्त जरूरत बताई। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी जानकारी दी गई की उनके झाबुआ भ्रमण के दौरान थांदला में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर पता चला कि अस्पताल में कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाये।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उपरोक्त समस्या पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई की अदिवासी क्षेत्रों में उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में मेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टर इत्यादि की पदस्थापना की गई है हालांकि आयोग के सुझाव के अनुसार इसकी समीक्षा की जाएगी तथा महिला डॉक्टरों की भी पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मलेरिया रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव कराया जाएगा एवं मच्छरदानी देने हेतु विचार किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस अवसर पर जानकारी दी गई कि केमिकल युक्त प्रदूषित पानी के विषय पर जिला कलेक्टर, झाबुआ से उनकी बातचीत हो चुकी है तथा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जिसकी जानकारी आयोग को भी दी जाएगी। जहाँ तक सिलिकोसिस बीमारी का सवाल है, इसका मुख्य कारण यहाँ के मजदूरों का रोजगार हेतु गुजरात में पलायन कर स्टोन/टाइल्स इंडस्ट्री में काम करना है जहाँ पर उन्हें मनरेगा के मुकाबले ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है और अधिकतर मजदूर वहीं से यह बीमारी लेकर आते हैं। राज्य सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी मदद दी जा रही है तथा जिला प्रशासन द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों का पलायन रोका जा सके। इस पर चर्चा के दौरान आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पेय–जल समस्या दूर करने एवं भूमि का जल स्तर बढ़ाने हेतु पुराने तालाबों का पुर्नजीवीकरण /गहरीकरण करना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा तथा वर्षा भी अधिक होगी और लोग स्वस्थ्य रहेंगे। शासकीय आश्रम शालाओं में फलदार और छायादार उपयोगी पेड़ लगाये जाने चाहिये ताकि वहां रह रहे बच्चों को भोजन के अतिरिक्त फल भी प्राप्त हो सकें और वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों।

- **खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा** :–इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा झाबुआ में प्राप्त शिकायतों का जिक्र किया गया जिसमें ग्रामवासियों द्वारा प्रति माह राशन न मिलने, घटिया गुणवत्ता का राशन मिलने तथा कुछ हितग्राहियों द्वारा उनके गाँव में राशन की दुकानें न होने की शिकायत की गई थी। इस पर अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि लगभग 35 लाख आदिवासी परिवार म.प्र. में हैं और अधिकतर गाँवों में राशन की दुकाने खोली गई हैं और शेष गाँवों में खोलने के प्रयास जारी हैं। जहाँ तक प्रतिमाह राशन न मिलने का सवाल है इस पर जाँच कराई जाएगी और इसे सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारियों को सचेत किया गया कि सूखे के कारण गाँव के लोग पहले से ही दुखी हैं अतः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा योजना की हर स्तर पर समीक्षा किया जाना चाहिए। यह लोगों की मूलभूत आवश्यकता है तथा सरकार की यह जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आयोग द्वारा कुपोषण का मुददा भी उठाया गया तथा अधिकारियों को इस विषय पर अधिक सचेत रहने का कहा गया।

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में मिली शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए जिसमें बैंक प्रतिनिधि द्वारा भोले–भाले आदिवासियों से अंगूठा का निशान लगाकर पूरे पैसे न देने की शिकायत उनके झाबुआ भ्रमण के दौरान बोरड़ी एवं फुट तालाब गाँवों में प्राप्त हुई थी। इसके लिए आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि पेंशन वितरण के समय सरपंच/उपसरपंच या अध्यापक इत्यादि की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। इस पर राज्य के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण की जाँच की जाएगी एवं आयोग के सुझाव को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

- **वन अधिकार पत्रों का वितरण** :–इस विषय पर चर्चा में आयोग द्वारा कहा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार कानून, 2006 के बारे में प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा योग्य हितग्राहियों को अधिकार पत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसको अपना कर्तव्य समझते हुए आदिवासियों को उनके घरों एवं खेतों का सर्वे करते हुए डोर स्टेप सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो आदिवासी नियमानुसार लंबे समय से जमीन पर काबिज हैं उनको जमीन का अधिकार पत्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में त्रि–स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है जो इस तरह के अधिकारों/आवेदनों की समीक्षा कर रही हैं और एक विशेष अभियान के तहत 24 फरवरी से 30 जून 2016 तक इस कार्य को पूरा करते हुए इसे वेबसाइट पर पब्लिक डोमैन में अपडेट किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन दावों के परीक्षण के लिए 9 बिन्दु तैयार किये गये है और उन 9 में से कोई 2 बिन्दु उपलब्ध हैं तो भी आदिवासियों को पट्टा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उस गाँव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा यदि यह सत्यापित किया जाता है कि निर्धारित अवधि से किसी आदिवासी का जमीन पर कब्जा है तो उसे भी मान्य किया जा रहा है। आयोग का सुझाव था कि यदि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है तो उसे भी मान्य किया जाना चाहिए जैसे कि कोई आदमी किसी जमीन के टुकडे/खेत पर अवैध कब्जे या पशुओं द्वारा वनों पर चराई के लिए कभी जेल में गया था तो उसे भी मान्य किया जाना चाहिए। यदि विगत में उनके पशु वन विभाग द्वारा पकड़े गये हों जिसका उन्होंने जुर्माना भरा हो तो यह भी उनके वहां पर निवासरत रहने का सबूत है। आयोग के सचिव ने यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि 30 जून तक सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का निपटान करते हुए आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट भेजी जाये।

- **आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण** :–इस विषय पर चर्चा में राज्य के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यदि किसी सरकारी जमीन पर आदिवासी का कब्जा है तो उसे राजस्व पट्टा दिये जाने का अधिकार एस. डी.ओ को दिया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। आयोग ने जानकारी दी कि झाबुआ शहर में सरकारी जमीन पर दशकों से मकान बनाकर निवासरत अनुसूचित जनजाति के

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सदस्यों को आवासीय भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है जिस पर राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

- **आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण एवं पुर्नवास** :–इस पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों को बताया गया कि यदि किसी आदिवासी की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके पुर्नवास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनके झाबुआ भ्रमण के दौरान शिकायत मिली थी कि मावली डूंगरी गाँव में इंदौर की किसी इंडस्ट्री को खनन हेतु जमीन का पट्टा दिया गया है जिस पर आदिवासियों का कब्जा है तथा उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला और उनका पुर्नवास भी नहीं हुआ। खनन पट्टा प्राप्त करने वालों द्वारा उन्हें धमकी दी जा रहीं है तथा जिला प्रशासन के लोग भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अतः इस तरह की शिकायतों पर गौर किया जाना चाहिए एवं सर्वप्रथम आदिवासियों को उनकी जमीन का मुआवजा एवं पुर्नवास की व्यवस्था होनी चाहिए। झाबुआ जिले की समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी भी अनुपस्थित थे। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसकी जाँच की जाएगी तथा आयोग के सुझाव को अमल में लाया जाएगा।

- **झाबुआ से पलायन रोकने का प्रयासः**–इस पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि झाबुआ भ्रमण के दौरान आयोग को पता चला कि लगभग 60 हजार आदिवासी भूमिहीन मजदूर हैं जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसका मुख्य कारण मनरेगा में कार्य दिवस कम होना, इसकी मजदूरी कम होना और समय पर भुगतान न होना है। आय के लिये उन्हें वर्ष भर काम करना पड़ता है एवं बाहर जाने से उन्हें ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है। इसको रोकने के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि मनरेगा के कार्य दिवस में बढ़ोतरी की जानी चाहिए जिसे कम से कम 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किया जाना चाहिए एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आयोग ने लोगों की मनरेगा में किये गये कार्य की मजदूरी का समय पर भुगतान न होने की शिकायत की ओर राज्य सरकार के अधिकारियों का ध्यान खींचा। इस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्य दिवस बढ़कर 150 दिन कर दिये गये हैं और गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का भुगतान देर से जारी किया गया था जिसकी वजह से भुगतान में कुछ देरी हुई। इस समय धनराशि की कोई कमी नहीं है तथा भविष्य में मनरेगा का भुगतान समय पर किया जाएगा।

- **बैकलॉग भर्तियाँः**–आयोग ने जानकारी चाही गई कि बैकलॉग भर्तियों की क्या स्थिति है। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि आदिवासियों हेतु आरक्षित पदों पर उनके द्वारा अनुसूचित जाति या अन्य किसी वर्ग की नियुक्ति नहीं की जाती तथा इन रिक्तियों को

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भर्ती होने तक खाली रखा जाता है। एस.टी. की भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता है। उनके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की पी.टी.जी. अध्यापकों के पदों पर भर्ती निरंतर की जा रही है। यहाँ पर माननीय अध्यक्ष ने गुजरात सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासें की सराहना की जहाँ पर पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं ली जाती हैं ताकि वे परीक्षाएं पास कर सकें। इस योजना को "गुणोत्सव" नाम दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी ऐसे प्रयास किये जाने की जरूरत बताई तथा इंजिनियरिंग व मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले आदिवासी छात्रों हेतु बड़े कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग क्लास आयोजित करने की सलाह दी।

- **अन्य विषयः**—(1) मध्य प्रदेश के दौरे में आयोग के सामने कुछ लोगों द्वारा आदिवासियों के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी किये जाने का मामला उठाया गया। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला झाबुआ में आबकारी विभाग के अधिकारी का मामला प्रकाश में आया था। इस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि फर्जी प्रमाण पत्रों की जाँच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है तथा उक्त अधिकारी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अतः इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इस पर आयोग ने सलाह दी कि राज्य सरकार द्वारा प्रो—एक्टिव होकर ऐसे मामलों में कोर्ट को तथ्यात्मक जानकारी देकर शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि लोग गलत लाभ न ले सकें एवं आदिवासियों का अधिकार न मारा जाए। (2) आयोग द्वारा राज्य सरकार को उसे प्राप्त शिकायत के बारे में बताया गया कि ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा लगभग 20,000 पदों पर उन्हें एकल पद बताकर पर भर्ती किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस आधार पर इन पदों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है जो कि पहली नजर में गलत प्रतीत होता है तथा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इस पर तत्काल रोक लगाते हुए आरक्षण नियमों के अनुरूप भर्ती होनी चाहिए। इस पर प्रमुख सचिव द्वारा तत्काल कार्रवाई का आश्वासन आयोग को दिया गया। (3) राज्य सरकार के अधिकारियों का ध्यान पशु चिकित्सकों की कमी की तरफ भी ध्यान दिलाया गया ताकि आदिवासियों के मवेशियों की देख—भाल हो सके। आदिवासी क्षेत्रों में वे गांवों में जायें तथा साप्ताहिक बाजार—हाट वाले दिन पशु डॉक्टर की वैन वहां पर जाये, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। (4) आदिवासियों पर अत्याचार के मामले पर विधिक सहायता एवं मेडिकल सहायता प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। (5) सभी छात्रावासों एवं स्कूलों में फल एवं छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा एवं बच्चों को वृक्षों से प्यार होगा तथा उन्हें फल भी खाने को मिलेगा। (6) विभिन्न आदिवासी संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा की गई मांग के तहत म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग में कम से कम एक सदस्य आदिवासी समुदाय का होना चाहिए।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई एवं आयोग से प्राप्त होने वाले पत्रों का निर्धारित समय सीमा में उत्तर दिया जाना :–**बैठक के अंत में श्री ए. के. अग्रवाल, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि आयोग की वार्षिक रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि बिना किसी विलंब के कार्रवाई रिपोर्ट संसद में रखी जा सके। साथ ही आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा राज्य में किये गये दौरों, समीक्षा बैठकों में दिये गये सुझावों तथा आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर आयोग से भेजे गये पत्रों का उत्तर समय सीमा में देना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 07–05–2016 को महामहिम राज्यपाल, म.प्र. एवं माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. से मुलाकात :–

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री म.प्र. शासन से 15:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मिले एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श किया और अपने मध्य प्रदेश दौरे में सामने आये विषयों की जानकारी दी। इसके पश्चात लगभग 17:30 पर वे माननीय राज्यपाल महोदय से सौजन्य भेंट करने के लिए मिले।

अगले दिन दिनांक 07–05–2016 को सुबह दिल्ली से आया आयोग का दल माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भोपाल से वापस दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाईट से रावाना हुआ।

आयोग के दल द्वारा झाबुआ जिले के भ्रमण व समीक्षा एवं भोपाल में म.प्र. राज्य की राज्य स्तरीय समीक्षा के पश्चात आयोग की अनुशंसा निम्न प्रकार की जाती है ताकि आदिवासियों के विकास की योजनाएं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

आयोग के दल द्वारा माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में म.प्र. राज्य में आदिवासियों से संबंधित विकास योजनाओं एवं **सुरक्षण/संरक्षण** उपायों की समीक्षा दिनांक 01–05–2016 से 07–05–2016 की अवधि के दौरान की गई। इस दौरान प्रगति की जो समीक्षा की गई उसकी अनुशंसा संक्षेप में निम्नानुसार की जाती है:–

(1) अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंर्तगत उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा इस तरह के मामलो की निरंतर थाना, जिला एवं राज्य स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाए जिससे पीड़ित को राहत तथा न्याय मिले एवं दोषियों को सख्त सजा मिले।

रामेश्वर ओरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(2) आदिवासी उपयोजना में बजट का आवंटन एवं आवंटित धनराशि का अंतरण वित्त वर्ष के शुरू में किया जाए ताकि योजना के अंर्तगत आदिवासियों के हित में इसका सदुपयोग हो सके।

(3) मनरेगा योजना अंर्तगत आदिवासियों को दिये जाने वाले अधिकतम कार्य दिवसों में बढ़ोतरी की जाए जिससे वर्ष में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका मजबूरी में पलायन न हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि मनरेगा की मजदूरी का भुगतान तुरंत हो और उसमें किसी तरह की देरी न हो जिससे आदिवासी अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के लिए मजबूर न हो।

(4) आदिवासी छात्र/छात्राओं की अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित के काबिल अध्यापकों की नियुक्ति आदिवासी जिलों/क्षेत्रों के स्कूलों एवं कॉलेजों में की जाए ताकि आदिवासी छात्र/छात्राएं भी दूसरे वर्गों के छात्रों के साथ प्रतियोगिता कर सकें एवं उच्च शिक्षा हासिल कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

(5) आदिवासी छात्र/छात्राओं हेतु अधिक से अधिक आवासीय स्कूल एवं कॉलेज खोले जाएं तथा उनके लिए विभिन्न परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाए।

(6) आदिवासी छात्र/छात्राओं को शासन की योजनाओं के अंर्तगत छात्रवृत्तियाँ समय पर एवं उच्च शिक्षा में गैप होने पर भी दी जाए। इस संबंध में आई शिकायतों का तत्परता/प्राथमिकता से समाधान किया जाए।

(7) आदिवासी छात्र/छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को कुछ अच्छे गैर सरकारी संस्थानों जैसे कि भारत सेवा संघ, रामकृष्ण मिशन एवं डी.ए.वी. इत्यादि का चयन कर अनुबंध के तहत स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था करानी चाहिए जिसमें 50 प्रतिशत छात्र आदिवासी व 50 प्रतिशत छात्र दूसरे वर्गों के हो। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि आदिवासी छात्र दूसरे छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पायेंगे।

(8) सभी आदिवासी जिलों के विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए तथा जिला स्तर पर विधि (लॉ) की पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए। झाबुआ जिले में चर्चा के अनुसार लॉ कॉलेज खोलने की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए तथा इस संबंध में आयोग को भी अवगत कराया जाना चाहिए।

(9) सभी आदिवासी क्षेत्रों में पीने हेतु शुद्ध पेय जल की आपूर्ति की जानी चाहिए एवं झाबुआ जिले में प्राप्त हुई शिकायत पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए तथा इस संबंध में हुई प्रगति से आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।

(10) खाद्य सुरक्षा के अंर्तगत सभी हितग्राहियों को योजना के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं जहाँ पी.डी.एस. की दुकान नहीं है वहाँ पर खोली जानी चाहिए। इस योजना की प्रगति एवं पारदर्शिता की समीक्षा विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर होती रहनी चाहिए। कुपोषण से पीड़ित आदिवासी एवं उनके बच्चों को विशेष पौष्टिक आहार देते हुए उनकी देख–भाल होनी चाहिए।

रामेश्वर ओंव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(11)आदिवासी जिलों में पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, डॉक्टरों विशेषकर महिला डॉक्टरों की पोस्टिंग की जानी चाहिए। झाबुआ जिले में थान्दला के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की तुरंत पोस्टिंग होनी चाहिए जिसकी शिकायत वहाँ पर प्राप्त हुई थी। आदिवासियों को बीमारियों से बचाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए तथा मच्छरों से बचने हेतु मच्छर मार दवा का छिड़काव एवं मच्छरदानियों का वितरण किया जाना चाहिए।

(12)सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए तथा इन योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता से हो, ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे कि वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना में बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सरपंच/उपसरपंच या अध्यापक की उपस्थिति में धनराशि का वितरण किया जाना चाहिए।

(13) वन विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करें कि सभी आदिवासी छात्रावासों एवं स्कूलों में फलदार एवं छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण छात्र–छात्राओं की सहभागिता से किया जाये ताकि उन्हें वृक्षों से प्यार हो, वे उसकी देख–भाल करें एवं उसके फल तथा छाया का लाभ प्राप्त करें जिससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके तथा वन विभाग का वन क्षेत्रफल भी बढ़ सके।

(14)कृषि क्षेत्र में किसानों को फसली ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। सूखे के कारण किसानों को ऋण जमा करने हेतू बैंकों द्वारा दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए एवं लिए गये ऋण पर ब्याज की राशि सूखे के कारण माफ की जानी चाहिए। कृषकों को अनुदान के तहत मिलने वाले टूलकिट, यंत्र एवं इंजन इत्यादि कहीं से भी क्रय करने की अनुमति मिलनी चाहिए न कि ठेकेदारों से ही लेने का निर्देश देना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है।

(15)वन अधिकार कानून, 2006 का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करते हुए आदिवासियों को सरकारी भूमि/वन भूमि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन नियमानुसार किया जाना चाहिए तथा गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा यह बताने पर कि संबंधित आदिवासी का कब्जा उक्त भूमि पर लंबे समय से है, उसका दावा स्वीकार कर पट्टा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार के रिकार्ड में दर्ज किसी भी सबूत को इन मामलों मे स्वीकार करते हुए पट्टे जारी किये जाने चाहिए।

(16) बैकलॉग भर्तियों निरंतर की जानी चाहिए और जब–तक योग्य आदिवासी उम्मीदवार न मिलें, उसे खाली रखना चाहिए। किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति या अन्य वर्गों से नहीं भरा जाना चाहिए। झाबुआ जिले में बताई गई लगभग 12 सौ बैकलॉग पदों की भर्तियाँ करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(17) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में की जा रही लगभग 20 हजार भर्तियाँ एकल पद मानते हुए नहीं की जानी चाहिए तथा इसमें सरकार की आरक्षण नीति के तहत भर्ती होनी चाहिए जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए तथा आयोग को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिए।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(18) पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर का नियमानुसार पालन किया जाना चाहिए।

(19) फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच की जाए एवं दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवही की जानी चाहिए तथा राज्य सरकार को कोर्ट में केस जाने पर प्राथमिकता के आधार पर कोर्ट के सामने सबूत पेश करते हुए दोषी को सजा दिलानी चाहिए। झाबुआ में प्राप्त आबकारी अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत पर तुरंत गौर किया जाना चाहिए चूंकि ऐसे अधिकारी आदिवासी का हक तो मारते ही हैं साथ ही भ्रष्टाचार में भी संलिप्त होते हैं।

(20)भूमिहीन आदिवासियों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिए जिससे वह स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर या समूह में रह कर अपना रोजगार चला सकें व पलायन से बच सकें क्योंकि मजबूरी में ही कोई अपना घर छोडता है। इस हेतु राज्य सरकार के आदिवासी विभाग कुछ महिला समूहों का चयन कर श्री दाती महाराज के उज्जैन आश्रम से संपर्क कर उन्हें इस कार्य में शामिल कर सकते हैं क्योंकि वह बिना किसी सरकारी मद्द के आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देने एवं कच्चा माल उपलब्ध कराने और तैयार माल उनसे खरीदने के लिए तत्पर हैं जिसकी जानकारी जिला संयोजक, आदिवासी विकास, उज्जैन को है।

(21)आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण उनकी सहमति से, उनको उचित मुआवजा देकर एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था कर होना चाहिए तथा इस संबंध में मिली शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए समाधान किया जाना चाहिए।

रामेश्वर ओरांव

डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi